पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाश नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1339/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–6 दिनांक : 30.06.2018

विषय :– संविदा कर्मियों के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी,
पिटकुल, ...।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके संज्ञान में लाना है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा बिना मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग के माध्यम से एवं सूचित किये बिना संविदा कर्मियों की नवतैनाती की गयी है। जिससे उक्त संविदा कर्मियों के सम्बन्ध में मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग में पूर्ण जानकारी न होने के कारण संविदा कर्मियों से सम्बन्धित सूचना शासन/मा0 आयोगों/मा0 न्यायालयों में लम्बित वादों में स्पष्ट रूप से सही जानकरी नहीं दी जा पा रही है।

कृपया इस सम्बन्ध में कारपोरेशन के पूर्व पत्रांक 140/मा0सं0एवंप्र0अनु00/पिटकुल/एच–6 दिनांक 30.01.2013 द्वारा शासनादेश संख्या 426/XXX/(2)2012-03(2)2006 दिनांक 25.05.2012 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया था। शासनादेश के अनुसार स्वीकृत पदों के विरूद्ध संविदा कार्मिकों की नवतैनाती में अनुसूचित जाति/जनजाति के कोटे को शासनादेश के अनुसार भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया था एवं इसके अतिरिक्त ऊर्जा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1199/I(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 25.09.2017 द्वारा तीनों निगमों में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश के बिन्दु संख्या–5 में निर्देश दिये गये हैं कि "भविष्य में निगम के अधीन स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स से कार्मिकों की तैनाती की जायेगी।" का भी संज्ञान लेने का कष्ट करें।

यह भी अवगतनीय है कि संविदा कर्मियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्रांक 127/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी.एस. दिनांक 03.05.2018 द्वारा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 111(1)XXX(2)/2018-30(12)2018 दिनांक 27.04.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः नियन्त्रक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि संविदा कर्मियों के नियोजन के समय उपरोक्त आदेशों का संज्ञान लेते हुए कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(आशीष कुमार) 30/6/18
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक : 1339/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–6 तददिनाक
प्रतिलिपि निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशीष कुमार) 30/6/18
निदेशक (मा0सं0)